


कार्यालय आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अलवर



क्रमांक- 799

दिनांक:- 27.02.2023

निविदा सूचना संख्या 05 / 2022-23

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से खण्ड अलवर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य की बिड़ ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। बिड़ प्रपत्र ई-प्रोक की साईट से आन लाईन दिनांक 08.03.2023 से दिनांक 20.03.2023 को सायं 3.00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड किए जा सकते हैं। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में सिविल कार्यों हेतु राजस्थान आवासन मण्डल में समुचित वर्ग के पंजीकृत संवेदक व अन्य विभागों के एए' एवं ए' श्रेणी में पंजीकृत संवेदक ही भाग ले सकते हैं।

संवेदक को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया से बिड़ प्रस्तुत करते समय एकल बिड़ में पंजीकरण की प्रति, अनुभव प्रमाण-पत्र, बिक्री कर, विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं केन्द्रीय उत्पाद विभाग में जी.एस.टी. पंजीयन की सत्यापित प्रति, एवं अण्डरटेंकिंग व परफॉर्मा A, B, C & D अपलोड करने होंगे। अन्य विभागों में पंजीकृत संवेदकों को अमानत राशि हेतु बिड़ राशि की 2 प्रतिशत एवं राजस्थान आवासन मण्डल में पंजीकृत संवेदकों को 0.5 प्रतिशत एवं बिड़ शुल्क की डी.डी. बिड़ प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर के पक्ष में देय होगी। ई-टेंडरिंग शुल्क रुपये 1180/- का डी डी एम.डी.आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में देय होगा। एकल बिड़ हेतु पंजीकरण की प्रति, जी.एस.टी. पंजीयन की सत्यापित प्रति, एवं अण्डरटेंकिंग व परफॉर्मा A, B, C & D प्रपत्र दिनांक 20.03.2023 को सायं 5.00 बजे तक आवासीय अभियन्ता खण्ड अलवर कार्यालय में जमा कराने होंगे।

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित निविदा राशि (रु लाख में)	अमानत राशि (रुपयें)	निविदा शुल्क (रुपयें)	कार्य अवधि (माह)	संबंधित खण्ड	UBN No
1	Repair Maintenance of Office Building at CEB Alwar.	12.26	24520.00	590.00	06	खण्ड अलवर	RHB2223 WSRC00483

बिड़ एकल बिड़ पद्धति से आमंत्रित की जायेगी। वर्णित कार्य की वित्तीय बिड़ दिनांक 21.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे आवासीय अभियन्ता-ई-प्रोक जयपुर के कार्यालय में खोली जायेगी। वित्तीय बिड़ खोलने के दिनांक पर राजकीय अवकाश होने पर बिड़ अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी। बिड़ प्रपत्र के संबंध में अन्य जानकारी संबंधित खण्ड से भी प्राप्त की जा सकती है।

Sd.
आवासीय अभियन्ता,
राज. आवासन मण्डल, खण्ड-अलवर

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता (प्रथम), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-अलवर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एस.पी.पी. पोर्टल पर निविदा अप-लोड करने हेतु।

आवासीय अभियन्ता
राज. आवासन मण्डल, खण्ड-अलवर